By e-mail Fin-deptt.

पत्र सं०-अ०पा० 66/2011..1144../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 20/XI/17

विषयः बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में ।

प्रसंगः मुख्य सचिव, बिहार का पत्र सं०-8978 दिनांक 17.11.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि जिलों/ विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विभागों/ प्रमंडलों/जिलों के बैंक खातों में लंबे समय से राज्य के समेकित निधि से राशि निकासी कर रखी गयी है तथा अव्यवहृत है । यह वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेशें एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 34, 176, 177 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल हैं ।

2. प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्रांक 8978 दिनांक 17.11.2017 द्वारा मुख्य सचिव के स्तर से विभागों/ प्रमंडलों/ जिलों को निम्नलिखित निदेश दिए गए हैं:-

*"1) संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुए, जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक **31.03.2018** तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक **31.12.2017** तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए ।*

*2) बैंक खातों में संधारित छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन इत्यादि की राशि जिसका व्यय भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता है, को दिनांक **15.12.2017** तक राज्य के समेकित निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ।*

*3) जिन बैंक खातों में संचित राशि का स्रोत ज्ञात नहीं है, तथा जिसके व्यय की संभावना नहीं है, को राज्य के समेकित निधि में जमा करने हेतु उचित शीर्ष का निर्धारण कर वित्त विभाग द्वारा अलग से पत्र निर्गत किया जा रहा है । ऐसी संपूर्ण राशि को **15.12.2017** तक राज्य की समेकित निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए ।"*

3. उपरोक्त निदेश के आलोक में निम्नांकित तीन स्थितियां परिलक्षित होगीं :-

i) बैंक खातों में संचित राशि जहाँ से प्राप्त हुई हैं, उस विभाग का नाम एवं शीर्ष ज्ञात है । ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षो की राशि अनुलग्नक '1' में दिखलाए गए मद वार अंकित उपशीर्ष के अनुसार जमा होगी ।

ii) बैंक खातों में संचित राशि जहाँ से प्राप्त हुई है, उस विभाग का नाम ज्ञात है, किन्तु शीर्ष ज्ञात नहीं है । ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षो की राशि अनुलग्नक '2' में दिखलाए गए विभाग वार अंकित उपशीर्ष के अनुसार जमा होगी ।

iii) बैंक खातों में संचित राशि जहाँ से प्राप्त हुई है, उस विभाग का नाम एवं शीर्ष दोनों ज्ञात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षो की राशि अनुलग्नक '3' में अंकित उपशीर्ष में जमा होगी ।

4. उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित विधिनुसार बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि जिसका व्यय 31.03.2018 तक संभावित नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए ।

5. मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-8978 दिनांक 17.11.2017 में निदेशित है, कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपरोक्त निदेशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग/जिला द्वारा कोषागार से संचालित वित्तीय संव्यवहार दिनांक 31.12.2017 के उपरान्त बंद कर दिया जाएगा । अतः कृपया समय सीमा के अंतर्गत अनुवर्ती कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथोक्त् ।

20.XI.17
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

पत्रांकः- अ०पा० 66/2011 1144/वि0, पटना, दिनांक 20/XI/17

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

20.XI.17
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

पत्रांकः- अ०पा० 66/2011 1144/वि0, पटना, दिनांक 20/XI/17

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

20.XI.17
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक 340 /को० दि० 22.11.2017

प्रतिलिपि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (जिला कोषागार कार्यालय से संबद्ध), औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

22/11/17

कोषागार पदाधिकारी,
औरंगाबाद ।
22/11/17

अनुलग्नक-1

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग एवं शीर्ष की जानकारी ज्ञात है।

राजस्व व्यय शीर्ष (मुख्य शीर्ष 02 एवं 03 से प्रारंभ), उपमुख्यशीर्ष, लघुशीर्ष के अन्तर्गत किसी उपशीर्ष से पूर्व वित्तीय वर्षो में आहरित राशि को उसी मुख्य एवं उपमुख्यशीर्ष के लघुशीर्ष ''911–घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ'' अन्तर्गत निम्नलिखित उपशीर्ष की विवरणी के अनुसार राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा किया जायेगा।

क्रम सं०	मदें	उप शीर्ष कोड	उपशीर्ष का विवरण
1	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना)	0001	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0002	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
2	राज्य स्कीम (राज्य योजना)	0101	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0102	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
3	राज्य स्कीम (केन्द्रांश)	0201	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0202	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
4	राज्य स्कीम (राज्यांश)	0301	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0302	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
5	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (केन्द्रीय योजनागत योजना)	0401	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0402	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	0601	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0602	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.11.19

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

क्रम सं०	विभाग का नाम	मांग संख्या	घटाएं वापसियाँ के अन्तर्गत लेखा शीर्ष
1	कृषि विभाग	01	मुख्यशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	02	मुख्यशीर्ष 2403-पशु-पालन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
3	भवन निर्माण विभाग	03	मुख्यशीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	04	मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
5	निर्वाचन विभाग	06	मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.XI.17